



आदेश की क्र०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	<p style="text-align: center;">न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, — सह— नीलाम पत्र पदाधिकारी, गुमला आदेश बैंक ऑफ इंडिया, टोटो शाखा बनाम मोहसीन आलम विपक्षी</p> <p>अधियाची पदाधिकारी शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया, टोटो शाखा से लोक मांग वसुलि अधिनियम की धारा 5 के तहत नीलाम-पत्र दायर करने की अधियाचना प्राप्त हुई जिसमें मोहसीन आलम, पिता — मो० हासीम, ग्राम — बाजार टांड टोटो, पोस्ट — टोटो, थाना — गुमला, जिला — गुमला के विरुद्ध देनदार दिखाते हुए राशि रूपये 2,06,713.00 (दो लाख छः हजार सात सौ तेरह) रूपये पर बकाया राशि दर्शाया गया था।</p> <p>अतः बैंक ऑफ इंडिया टोटो, शाखा के द्वारा दिये गये अदेय प्रमाण पत्र के आधार पर वाद की कार्यावाही समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित,</p> <p style="text-align: center;">  भूमि सुधार उप समाहर्ता, —सह— नीलाम पत्र पदाधिकारी गुमला। </p> <p style="text-align: center;">  भूमि सुधार उप समाहर्ता —सह— नीलाम पत्र पदाधिकारी गुमला। </p>	